L No: M-1376 /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1 Dated: 10 /06/2024

यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, ''उज्ज्वल'', महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Ujjwal", Maharani Bagh G.M.S. Road, Dehradun - 248006 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 14001

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 146/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/Empanelment of Hospitals Dated: 22/07/2021 के अनुक्रम मे **सरगंगा राम हास्पिटल, दिल्ली** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **सरगंगा राम हास्पिटल, दिल्ली** को क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) एवं सामान्य चिकित्सा हेतु **दिनांक 01.06.2024 से 31.03.2027 तक (03) तीन वर्ष के लिए** मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

1. चिकित्सालय की संलग्न दर सूची दिनांक 01.04.2024 से आगामी 01 वर्ष अर्थात दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिये मान्य होगी तथा चिकित्सा दर सूची में दर्शाई गई दरें इस अवधि में पुनरीक्षित नहीं होगी, एवं आगामी वर्षो के लिए लागू दर सूची चिकित्सालय द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी।

2. चिकित्सालय द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड के कार्मिकों को केवल भर्ती रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर उनके द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा निर्गत पहचान पत्र/हैल्थ कार्ड की छाया प्रति को प्रस्तुत करने पर ही निर्धारित 10 (दस) प्रतिशत की छूट प्राप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त पैकेज, दवाईयों, कन्ज्यूमेबल, इम्प्लान्ट एंव अन्य आउटसोर्स सेवाओं के बीजकों पर कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी। OPD Consultation Fees (राशि रू० 1000.00 निर्धारित) एवं OPD में कराये गये परीक्षणों पर चिकित्सालय द्वारा कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

3. यूजेवीएन लिमिटेड मानव संसाधन विभाग के पत्र संख्या 62 दिनांक 01.04.2021 के अनुसार यूजेवीएन लिमिटेड के कार्मिकों द्वारा भर्ती पूर्व MRD and Non Medical Consumables के मद में राशि रू० 10,000.00 मात्र (जिसकी प्रतिपूर्ति नियमानुसार देय न होने के दृष्टिगत उक्त चिकित्सा व्यय को कार्मिकों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।) अग्रिम रूप से चिकित्सालय में जमा की जायेगी।

4. क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) को लागू किये जाने हेतु यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा अधिकतर सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा पारिवारिक पेंशनरों के हैल्थ कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं, जिस पर सम्बन्धित कार्मिक के साथ–साथ उसके आश्रित परिजनों का नाम, जन्म तिथि, कार्मिक से सम्बन्ध एवं फोटो अंकित हैं, को चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही उन्हें अपने सम्बन्धित कार्यालय से प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्धारित प्रारूप में निर्गत करवा कर चिकित्सालय में 02 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) अनुमन्य नहीं होगी। हैल्थ कार्ड निर्गत न हो पाने वाले कार्मिक को सम्बन्धित कार्यालय से अपनी पहचान सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्गत करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें। क्रेडिट सुविधा (कैश लैस) में प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) सभी सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पारिवारिक पेंशनर सहित को अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। उक्त प्राधिकार पत्र (Authorisation Letter) निर्गत किये जाने की व्यवस्था यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार होगी।

क्रमशः......./2

Scanned with OKEN Scanner

5. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :—

a मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

6. उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगे ।

निदेशक (मा०सं०)

L.No: M-1376 /UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/(वि०/या०)/(ओ०एण्डएम०)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को **निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतू।**
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. Sr. MANAGER (MARKETING) SIR GANGA RAM HOSPITAL , SIR GANGA RAM HOSPITAL MARG, RAJINDER NAGAR NEW DELHI.
12. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।

7/6/24

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

Scanned with OKEN Scanner